

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 173/2024

अनवान :

संदीप कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम


1. हरदत सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. मन्जू बाला पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. सावित्री देवी पत्नी हरदतसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक मूर्ति चौक भादरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री वेदप्रकाश की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 141/100 के ख०सं० 127/1 की 1.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 136 की 3.3130 है० बारानी, खसरा नंबर 138 की 0.4050 है० बारानी, खसरा नंबर 65 की 0.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 67 की 3.0350 है०, खसरा नंबर 76 की 3.5660 है० बारानी, कुल 11.5710 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 506/494 के खसरा संख्या 21/1 की 5.0840 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 543/346 के खसरा संख्या 101 की 1.6060 है०, खसरा संख्या 110 की 6.6270 है०, खसरा संख्या 89 की 0.1010 है० बारानी कुल 8.3340 है० में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह अकेले की बजाय वादी संदीप कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(कल्पित शिवरान) अधिकारी
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 173/2024

अनवान :

संदीप कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. हरदत सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. मन्जूबाला पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. सावित्री देवी पत्नी हरदतसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक मूर्ति चौक भादरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकार हक

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया : वादी

वकील श्री वेदप्रकाश : प्रतिवादी सं० 1 ता 3

वकील श्री संदीप गोदारा : प्रतिवादी सं० 5



निर्णय

दिनांक : 12.03.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 141/100 के ख०सं० 127/1 की 1.1260 है० वारानी, खसरा नंबर 136 की 3.3130 है० वारानी, खसरा नंबर 138 की 0.4050 है० वारानी, खसरा नंबर 65 की 0.1260 है० वारानी, खसरा नंबर 67 की 3.0350 है०, खसरा नंबर 76 की 3.5660 है० वारानी, कुल 11.5710 है० वारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 506/494 के खसरा संख्या 21/1 की 5.0840 है० वारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 543/346 के खसरा संख्या 101 की 1.6060 है०, खसरा संख्या 110 की 6.6270 है०, खसरा संख्या 89 की 0.1010 है० वारानी कुल 8.3340 है० में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 264/193 के खसरा संख्या 157 की 4.8180 है०, खसरा संख्या 45 की 3.2120 है०, खसरा संख्या 596 की 7.5630 है०, खसरा संख्या 614 की 4.0850 है० वारानी कुल 19.6780 है० वारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 577/39356 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 5 तथा 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सन्दीप पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा मोठसरा खाता संख्या 141/100 संवत 2073-76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा अनूपशहर खाता संख्या 506/494 संवत 2075-78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा भनाई खाता संख्या 543/346 संवत 2074-77 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा भनाई खाता संख्या 264/193 संवत 2074-77 प्रदर्श 4, हलफनामा संदीप कुमार पुत्र हरदत सिंह प्रदर्श 5, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोठसरा प्रदर्श 6, जमाबंदी रोही मौजा अनूपशहर खाता संख्या 264/277 संवत 2051-54 प्रदर्श 7, जमाबंदी रोही मौजा मोठसरा खाता संख्या 82/87 संवत 2045-48 प्रदर्श 8 तथा जमाबंदी रोही मौजा भनाई खाता संख्या 198 संवत 2033 प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा

है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दरतावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मोठसरा, अनूपशहर व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 9 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 141/100 के ख०सं० 127/1 की 1.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 136 की 3.3130 है० बारानी, खसरा नंबर 138 की 0.4050 है० बारानी, खसरा नंबर 65 की 0.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 67 की 3.0350 है०, खसरा नंबर 76 की 3.5660 है० बारानी, कुल 11.5710 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 506/494 के खसरा संख्या 21/1 की 5.0840 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 543/346 के खसरा संख्या 101 की 1.6060 है०, खसरा संख्या 110 की 6.6270 है०, खसरा संख्या 89 की 0.1010 है० बारानी कुल 8.3340 है० में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 264/193 के खसरा संख्या 157 की 4.8180 है०, खसरा संख्या 45 की 3.2120 है०, खसरा संख्या 596 की 7.5630 है०, खसरा संख्या 614 की 4.0850 है० बारानी कुल 19.6780 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 577/39356 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 264/193 के खसरा संख्या 157 की 4.8180 है०, खसरा संख्या 45 की 3.2120 है०, खसरा संख्या 596 की 7.5630 है०, खसरा संख्या 614 की 4.0850 है० बारानी कुल 19.6780 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 577/39356 हिस्सा वादभूमि पैतृक भूमि साबित नही होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह के नाम यथावत रखी जावे। तथा शेष वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 अकेले की बजाय वादी संदीप कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 141/100 के ख०सं० 127/1 की 1.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 136 की 3.3130 है० बारानी, खसरा नंबर 138 की 0.4050 है० बारानी, खसरा नंबर 65 की 0.1260 है० बारानी, खसरा नंबर 67 की 3.0350 है०, खसरा नंबर 76 की 3.5660 है० बारानी, कुल 11.5710 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 506/494 के खसरा संख्या 21/1 की 5.0840 है० बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत के नाम 1/5 हिस्सा, रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 543/346 के खसरा संख्या 101 की 1.6060 है०, खसरा संख्या 110 की 6.6270 है०, खसरा संख्या 89 की 0.1010 है० बारानी कुल 8.3340 है० में प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरदत सिंह अकेले की बजाय वादी संदीप कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरदत सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कलियुक्त शिवराम) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़